

पत्रांक 440 / 3सी(व.भू.)  
सेवा में,

दिनांक 02/02/2016

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।


विषय :- चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली रा0इ0का0 मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं0 9220 / 2015)

संदर्भ:- कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा का पत्रांक-1311/12-1 दिनांक 01.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा 11 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है। आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है-

- बिन्दु सं0 1- परियोजना का औचित्य एवं आवश्यकता का प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।  
बिन्दु सं0 2- मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लीज में भूमि नहीं ली जाती है। इसका प्रमाण पत्र तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।  
बिन्दु सं0 3- नोट फॉर जस्टिफिकेशन प्रेषित किया जा रहा है।  
बिन्दु सं0 4- मोटर मार्ग के शासनादेश की प्रति प्रेषित की जा रही है।  
बिन्दु सं0 5- क्षतिपूरक वृक्षारोपण का गूगल मानचित्र तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।  
बिन्दु सं0 6- वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण-पत्र में दिनांक अंकित कर दी गयी है।  
बिन्दु सं0 7- क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में जी0पी0एस0 अंकित कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।  
बिन्दु सं0 8- क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों की रख-रखाव योजना तैयार कर प्रेषित की जा रही है।  
बिन्दु सं0 9- इस बिन्दु द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।  
बिन्दु सं0 10- 0.27 है0 फॉरेस्ट लैण्ड को मक डिस्पोजल प्लान में लिया गया है।  
बिन्दु सं0 11- वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के समरेखन से बिनसर अभ्यरणय की दूरी का प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

पत्रांक / 3सी.(व.भू.)

दिनांकित।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता नोडल, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा


## प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता


विन्दु सरखा-1

- 1: कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
- 2: कार्य की वास्तविक लम्बाई:- 6.00 किमी०
- 3: कार्य की लागत:- Rs. 200.16 लाख
- 4: आगणन गठित करने का संदर्भ:- शा०सं०- 572/ 111(2) /2006-08 प्रा०आ०/06 दि० 28.03.2006 के अनुपालन में।
- 5: लोक सभा क्षेत्र का नाम:- अल्मोड़ा-पिथौरागढ़
- 6: विधान सभा क्षेत्र का नाम:- 52-अल्मोड़ा
- 7: लाभान्वित ब्लाक के नाम:- हवालबाग
- 8: लाभान्वित ग्रामों का नाम/कोड सं:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	चितई तिवाड़ी	287
2	चितई पन्त	348
3	मन्थोली	59
4	पूनाकोट	561
5	पेटशाल बाड़ी	35
	<b>योग</b>	<b>1290</b>

- 9: आगणन के मुख्य प्राविधान:- मोटर मार्ग का नव निर्माण।
- 10: कार्य विषयक विस्तृत आख्या:- उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा०दे०-572/ 111(2) /2006-08 प्रा०आ०/06 दि० 28.03.2006 द्वारा किमी० 8.00 लम्बाई हेतु Rs. 200.16 लाख की प्राप्त हुई है, मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर दोनों समरेखनों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है-  
**समरेखन 1:-** इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्थोली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 हेमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी० आती है, परन्तु इस 2.00 किमी० का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा का पत्रांक-1076/769सी० दि० 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं० 15मी० स्पान, 01नं० 6मी० स्पान, 01नं० 8मी० स्पान तथा 01नं० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।  
**समरेखन 2:-** इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्थोली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 हेमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं० 15मी० स्पान, 01नं० 6मी० स्पान, तथा 01नं० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।  
 उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है, परन्तु सड़क न होने से स्थानीय जनता का विपणन का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अग्रणीय है। सड़क बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की भी सम्भावनाएँ हैं। सड़क की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है।  
 समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।  
 उपरोक्त गुण-दोष के आधार पर लाल रंग से दर्शाया गया समरेखन सं०-1 तकनीकी एवं उपर्युक्तता की दृष्टि से अधिक उपर्युक्त होने के कारण अनुमोदन हेतु संस्तुति कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


  
 सहायक अभियन्ता,  
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

  
 अभियन्ता,  
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 6.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि लीज में नहीं ली जाती है मोटर मार्ग का निर्माण हमेशा के लिए किया जाता है।

  
अधिशायी अभियन्ता  
नि0ख0, लो0नि0वि0,  
अल्मोड़ा

## NOTE FOR JUSTIFICATION

चिटई संख्या-3

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम चितई तिवाड़ी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट तथा पेटशाल बाड़ी ग्रामों से होकर गुजरता है जिनकी आबादी 1290 है। यह मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन-पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।


उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में 1.99875 है० सिविल भूमि, 0.170 है० वन पंचायत भूमि, 0.270 है० आरक्षित भूमि भूमि (कुल 2.43875 है० भूमि) तथा नाप भूमि 2.96125 है० प्रभावित होती है उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।


**समरेखन 1:-** इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 है० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी० आती है, परन्तु इस 2.00 किमी० का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा का पत्रांक-1076/769सी० दि० 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं० 15मी० स्पान, 01नं० 6मी० स्पान, 01नं० 8मी० स्पान तथा 01नं० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।


**समरेखन 2:-** इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 है० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं० 15मी० स्पान, 01नं० 6मी० स्पान, तथा 01नं० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.43875 है० भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी० तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई हैं। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित सिविल भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
नि.ख.लो.नि.वि  
अल्मोड़ा

  
सहायक अभियन्ता  
नि.ख.लो.नि.वि  
अल्मोड़ा

  
अधीक्षक अभियन्ता  
नि.ख.लो.नि.वि  
अल्मोड़ा



शासनादेश संख्या- 572/111(2)/06-08(प्र.आ.)/06 दिनांक 28 मार्च, 2006 का संलग्नक  
(घनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. चित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की रचीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	नेनीताल में रानीबाग-गवाली मोटर मार्ग के किमी 0.5 से 31 में पैरापिट रिटैनिंग चाल, ड्रेलीनेटर इत्यादि	-	51.00	51.00	0.01
2.	हल्द्वानी में ग्राम हिमतापुर मल्ला के आंतरिक मार्ग	3.00	42.60	42.60	0.01
3.	बागेश्वर में कज्जूजीताल कौरानी से ग्राम रीगा लतौलिया तक मोटर मार्ग निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.01
4.	घोडी में फूलचट्टी से कोटा तक मोटर मार्ग	9.00	222.25	219.40	0.01
5.	रायपुर-खादर-रांझवाला-किन्दूवाला नेहररुग्राम मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	6.00	111.64	109.00	0.01
6.	मरटखाल-पुल्यारू-उतिण्डा मोटर मार्ग को 2 किमी 0 एल.वी.आर को मोटर मार्ग में विस्तार (द्वारीखाल)	7.00	172.50	172.50	0.01
7.	पीपलचौरा-कोलागाड मोटर मार्ग का विस्तार (जयहरीखाल)	5.00	69.50	69.50	0.01
8.	अल्मोडा घाट मोटर मार्ग चितई पन्त तिराहे से (हरी दत्त पेटशाली इंटर कॉलेज से आगे) पेटशाल तक पैकेटिक मार्ग	8.00	298.36	200.16	0.01
9.	नेनीताल में लोनर शेर का उंडा क्षेत्र में कपूर लॉज तक पहुंच मार्ग निर्माण		6.32	5.85	0.01
10.	खो अमरनाथ बाग (मांडल कालोनी में) री.सी. मार्ग निर्माण	0.150	3.82	3.75	0.01
11.	अल्मोडा में घोलादेवी वि०ख० के अन्तर्गत कुशील बैण्ड से तोली-झिंगोली मार्ग का निर्माण	5.00	122.75	89.00	0.01
12.	घोडी के अन्तर्गत भातखाल-वांशी मोटर मार्ग	1.00	13.90	13.90	0.01
13.	पदोखा-वलमंगा में झूलापुल	90मी०	87.30	87.30	0.01
14.	मिलमंगा के अन्तर्गत हैडी बैण्ड से रोम-कफोलगाव मोटर मार्ग	5.00	65.20	65.20	0.01
15.	बकरेडा हल्का वाहन लिंक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन	3.25	17.55	17.55	0.01
16.	जन्तपद घोडी में घोडी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डीम, श्रीकोट जाम्नाखाल, हुलाकीखाल मोटर मार्ग	13.00	223.50	166.50	0.01
17.	जन्तपद घोडी में ढावखाल, अन्दरसी जाम्ना मोटर मार्ग का चौकीकरण एवं विस्तारीकरण	4.00			

कोटो प्रति मन् पित


सहायक अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लॉन्गवॉल  
हल्द्वारी

अभिमानित पति

अभिमानित पति

अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल० 6.00 किमी०)

चिह्न संख्या 5/7  
1:50,000




Legend  
Plantation Zone

*Handwritten signature*

चिह्न संख्या 5/7

कारा, अरनोका

अल्मोडा-घाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे)  
 पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)



Legend

Plantation Zone



*(Handwritten signature)*

श्री प्रो. ए. ए. शर्मा  
 प्रमुख, पेटशाल

श्री प्रो. ए. ए. शर्मा  
 प्रमुख, पेटशाल

श्री प्रो. ए. ए. शर्मा  
 प्रमुख, पेटशाल



परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।

(लम्बाई 6.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-

जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे० शिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे० अर्थात् कुल 2.43375 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई पन्त द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितई तिराही, चितई पन्त, मन्थोली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव, चितई पन्त (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान  
मन्थोली v. Pant

ग्राम पंचायत चितई पन्त  
अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-


जिला-अल्मोड़ा

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०)  
परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे० सिविल सोयम भूमि तथा  
वन पंचायत भूमि 0.17 हे० अर्थात् कुल 2.43375 हे० वन भूमि का जोक निर्माण विभाग  
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु  
आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई तिवारी द्वारा दिनांक  
को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया  
गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के  
परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से  
निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितई तिवारी, चितई पन्त, मन्योली,  
पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,  
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति  
नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत चितई तिवारी  
ग्राम सचिव, चितई तिवारी (मन्योली)

  
प्रधान  
ग्राम पंचायत चितई तिवारी  
जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.1/शरूप-30A

दिनांक 11/09/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कृष्ण राम	कृष्ण राम
2	गोविन्द राम	गोविन्द राम
3	चक्र राम	चक्र राम
4	मनोम बुगार	मनोम बुगार
5	दिव्य सिंह	दिव्य सिंह
6	बिंदु सिंह	बिंदु सिंह
7	मिरीश लाल	मिरीश लाल

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
 श्री प्रदीप सिंह  
 ग्राम पंचायत, बाराबंसी

ग्राम पंचायत  
 ग्राम पंचायत सिंह तवारी  
 बिकारा - 845124  
 जिला - 845124

दिनांक 11/09/2011 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.1	श्री ०००	000
	माधव कापूर	माधव कापूर
	जगदीश प्रसाद	जगदीश प्रसाद
		नरेश प्रसाद
	कामेश कापूर	कामेश कापूर
	मनोहर प्रसाद	मनोहर प्रसाद
	1. नरेश प्रसाद कापूर	नरेश प्रसाद
	बिना	बिना
	1. नरेश प्रसाद कापूर	नरेश प्रसाद

ग्राम पंचायत, विहरी, अमरकोट  
 क्षेत्र- विहरी  
 जिला- अमरकोट

ग्राम प्रधान  
 प्रधान V. Pant  
 ग्राम पंचायत, विहरी, अमरकोट  
 जिला- अमरकोट

दिनांक 11/09/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दिना सिंह	दिना सिंह
2	नाथ सिंह	नाथ सिंह
3	देवेंद्र सिंह	देवेंद्र सिंह
4	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
5	मोहन सिंह	मोहन सिंह
6	हर सिंह	हर सिंह
7	बंसी चंद्र	बंसी चंद्र
8	गोहरा सिंह	गोहरा सिंह
9	Wakhat family	वेदवन्त शर्मा

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
 पोस्ट-सिद्धादिवाड़ी  
 सिद्धादिवाड़ी (अपभोडा)

ग्राम प्रधान  
 ग्राम पंचायत सिद्धादिवाड़ी  
 त्रिकाय पोस्ट हनुमन्तबाग  
 सिद्धादिवाड़ी

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से  
हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०)  
(0.2700 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे० सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे०  
अर्थात् कुल 2.43875 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में  
हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की  
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दि० ११/०२/०९  
को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  
श्री मती रिंकु शिष्ट उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री मती रिंकु शिष्ट उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
- 2- श्री मंगनत सिंह जीना, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3- सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा सदस्य/सचिव
- 4- श्री चंदा सिंह सोनिया वी०डी०सी० क्षेत्र विधि प्रो. श्री जीना सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की  
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद  
अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का  
निर्माण कार्य नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु  
प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समी के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित  
नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक  
उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित  
जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम  
2003 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,  
2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम  
समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार  
समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ..... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में निम्नलिखित पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशात इण्टर कातेज पेटशात तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 2.43875 हे० वन भूमि नि०ख० लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रद्योक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

07

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय विधि अधिकार समिति  
तहसील—..... जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

07

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—..... जनपद अल्मोड़ा

FORM-II

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector: Almora

Dated. 1.12.14

No. ....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D, Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal Village (s) in Almora tahsils

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal villages (s) is enclosed as annexure .....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (c) of the FRA: NA

Encl: As above

Vinod Kumar  
District Collector, Almora

विना संपन्न कल्याण अनिकाके  
अल्मोड़ा



FORM-II

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector: Almora

Dated 12/12/14

No. ....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiyari, manyoli, Punakot, Petshal Village (s) in Almora tahsils**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure.....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Chatai Pant, Chatai pant tiyari, manyoli, Punakot, Petshal** villages (s) is enclosed as annexure .....
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

*[Signature]*  
01/12/14  
Vinod Kumar  
District Collector, Almora

*[Faint text and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp]*

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under  
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act  
(FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date. 01/12/14 at time 11:00 AM at Almora in which application claiming rights in Chatai Pant area measuring 2.43875 hec. for the for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petahali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora  
Date: 01/12/14

*(Signature)*  
01/12/14  
Deputy Commissioner  
Chairman  
District Level Committee

*(Signature)*  
विनी कुमार शर्मा  
अधीक्षक

The following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.  
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

विश्व प्रकाश - 8

प्रपत्र-42

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे रो (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी०)

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र**  
**क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना**

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- ग्राम कालनू क्षेत्रफल (है०) 4.88


रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1100 पौधे/है०) 5368 1100


क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई (है०/सं०)	इकाई दर (₹)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.8800	97.00	473.36
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.8800	584.00	2849.92
3	अग्नि दीवाल बन्दी (फर्निचिंग)	4.8800	2516.85	12282.23
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	4.8800	7540.00	36795.20
5	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	5368	7.30	39186.40
6	निरीक्षण बटिया बनाना	4.8800	485.00	2366.80
7	पौधों का मूल्य	5368	6.85	36770.80
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.8800	400.00	1952.00
9	अन्य कार्य	4.8800	400.00	1952.00
योग :- (प्रथम चरण)				<b>134628.71</b>
द्वितीय चरण				
1	गड्डा खदान (0.30X0.30X0.45)	5368	1.15	6173.20
2	पौधों का मूल्य	5368	1.15	6173.20
3	पौधे ढुलान कार्य	5368	6.39	34301.52
4	पौधा रोपण व थावताबन्दी	5368	2.06	11058.08
5	निराई, गुड़ाई व मल्लिचंग (दो बार)	5368	0.76	4079.68
6	खाद व दवा पर व्यय	4.8800	420.00	2049.60
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	12 Month	6000.00	72000.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	4.8800	445.00	2171.60
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाह के बाहर 4मी० की पट्टी साफ करना	4.8800	450.00	2196.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्सेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्सान देना	4.8800	500.00	2440.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौधे ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्लमेटेशन आदि कार्य	4.8800	487.00	2376.56


10	अन्य कार्य		4.8800	500.00	2440.00
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण					147459.44
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00		72000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	4.8800	450.00		2196.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	4.8800	270.00		1317.60
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.8800	300.00		1464.00
3	अन्य कार्य	4.8800	300.00		1464.00
योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)					78441.60
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00		72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00		1464.00
योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)					73464.00
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00		72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00		1464.00
योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)					73464.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00		72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00		1464.00
योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)					73464.00
वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00		72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00		1464.00
योग :- (पांचवें वर्ष रख-रखाव)					73464.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00		72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00		1464.00
योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)					73464.00
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00		72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00		1464.00
योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)					73464.00
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00		72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00		1464.00
योग :- (आठवें वर्ष रख-रखाव)					73464.00


वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
योग :- (नवें वर्ष रख-रखाव)				73464.00
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
योग :- (दसवें वर्ष रख-रखाव)				73464.00
कुल योग :-				1021705.75
या :-				1021700.00

नोट :- उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तर ही मानी जायेगी

  
 (ब्रह्म-चन्द्र)   
 वरिष्ठ अधिकारी

  
 क्षेत्र अधिकारी, सनीखेत  
 झरनाड़ा वन-प्रभाग

  
 क्षेत्र अधिकारी, सनीखेत  
 झरनाड़ा वन-प्रभाग

  
 क्षेत्र अधिकारी,  
 झरनाड़ा वन-प्रभाग, सनीखेत


परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटपाली इण्टर कालेज से आगे) पेटपाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित कालनू सिविल भूमि स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

  
वृक्षारोपण

  
वन क्षेत्राधिकारी, सनीखेत  
अल्मोड़ा वन-प्रभाग


  
प्रमाणित किया जाता है

प्रभागीय वनाधिकारी

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन-प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल० 6.00 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि 0.27है० आरक्षित भूमि को मक डिस्पोजल प्लान में सम्मिलित किया गया है। मक डिस्पोजल प्लान मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।

  
अधिसासी अभियन्ता  
नि०ख०, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-भाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की निकटतम राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 15 किमी० है।

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-भाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

प्रतिहस्ताक्षरित  
प्रभागीय प्रभोधिकारी  
प्रभाग जंगल व वन्य जीव  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित  
प्रभागीय प्रभोधिकारी  
प्रभाग जंगल व वन्य जीव  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा



(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।  
जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।  
संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत।  
रु० 200.16 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।  
इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का सर्वेक्षण किया गया। तकनीकी कारणों से वैकल्पिक स्थानों पर मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है।  
आवश्यकता नहीं है।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।  
मार्ग निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:  
सिविल भूमि 1.99875 है०  
आरक्षित वन भूमि 0.27000 है०  
वन पंचायत भूमि 0.17000 है०  
योग 2.43875 है०  
नाप भूमि 2.96125 है०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
- क) परिवारों की संख्या  
आवश्यकता नहीं है।
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या  
आवश्यकता नहीं है।
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)  
आवश्यकता नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?  
(हां/नहीं)

नहीं


5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

सारणी 4 संलग्न है।

दिनांक.....  
स्थान.....

  
प्रयोक्ता ~~ए.जे.सी.अ.के.ए.~~ हस्ताक्षर  
नाम निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
मेहर अल्मोडा

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)